प्रकरण संख्या 147/2024 गुड्डी उर्फ दुर्गा बनाम दिलीप व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.05.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम गाडरियावास, पटवार मण्डल सवीनाखेड़ा, तहसील गिर्वा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी नंबर 232 से 238, 243 कुल किता 8 रकबा 1.3050 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजी में से आराजी नंबर 232 से 236 व 238 में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 3/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में अंकित है। इसी प्रकार आराजी नंबर 237 में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 7/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में अंकित है। इसी प्रकार आराजी नंबर 243 में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में अंकित है। पक्षकारान आपसी बंटवारे अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन विधिक रूप से बंटवारा नहीं होने से विधिवत बंटवारा किया जाना आवश्यक है। अतः विवादित आराजीयात का वादग्रस्त आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 25.11.2024 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार का विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा यह अपील दिनांक 11.12.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल जैन उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश नागदा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अपीलान्ट द्वारा इन्हीं आराजियात बाबत् प्रस्तुत अन्य अपील संख्या 83/2024 व बाबू बाई व ईश्वरी बाई द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 91/2024 के साथ इस अपील पर भी अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। चूंकि इन्हीं आराजियात बाबत् अपीलान्ट गुड्डी उर्फ दुर्गा द्वारा प्रस्तुत उनकी अपील संख्या 83/2024 में अपीलान्ट गुड्डी उर्फ दुर्गा का किसी प्रकार का हक अधिकार होना मानते हुए उनकी उक्त अपील आज ही दिनांक 20.05.2025 खारिज की गयी है, जिसके अनुसार उक्त आराजियात में अपीलान्ट का हक साबित नहीं हुआ है। तदनुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील भी इसी आधार पर खारिज की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो [illegible] 20.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शु[illegible] से कम की जावे। (कीर्ति [illegible]) **भू-प्रबन्ध अधिकारी** **एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी** **उदयपुर**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:15:12 IST
Reason: Self Attested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**..........
व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

श्रीमती गुड्डी उर्फ दुर्गा पुत्री स्व0 उदयलाल मेनारिया पत्नी शिवशंकर मेनारिया, नि. पानेरियो की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दिलीप जैन पिता स्व. शंकरलाल जैन, निवासी 291, हिरण मगरी, सेक्टर से0 9, सवीना मेन रोड़, उदयपुर व अन्य

अपील नं...**147/2024**..व नाराजगी डिगरी अदालत...**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** .....**गिर्वा**........ मुकाम................मुवर्खे..........**25**..............माह..............**11**...........**2024**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**20**....माह.........**05**....सन् **2025** रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी......**श्री कैलाश नागदा**........मिनजानिब अपीलान्ट व..........**श्री रोशनलाल जैन**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25—11—2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X.....
.
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**20**.......माह.......**05**..........**2025** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. [illegible]		
मीजान			[illegible]		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील [illegible] चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:15:12 IST
Reason: SelfAttested